संख्या -   /XXIV(6)/2013

प्रेषक,

डॉ० निधि पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त नियंत्रक,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी जिला नैनीताल ।

शिक्षा अनुभाग–6 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 19 मार्च, 2013

विषय आलोच्य वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु आयोजनागत पक्ष में विश्वविद्यालय की चाहरदीवारी निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या : यूओयू/आर–1/एबी/275/2012/1789 दिनांक 22,मई 2012, पत्र संख्या : यूओयू/आर–1/2012–648 दिनांक 27,जून 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की निर्माणाधीन चाहरदीवारी को पूर्ण करने हेतु विश्वविद्यालय के प्रस्तावानुसार निर्माण इकाई प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि० हल्द्वानी द्वारा अवशेष कार्यो हेतु प्रस्तुत आंगणन ₹ 15.76 लाख जिसका परीक्षणोपरांत टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत ₹ 15.25 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 मे संस्तुत समस्त धनराशि **₹ 15.25 लाख (₹ पन्द्रह लाख पच्चीस हजार मात्र)** को निम्नांकित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :–

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। किसी भी दशा में अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय ।

(7) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

(8) आंगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित् अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे ।

(9) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या : 2047/xiv–219(2006) दिनांक 30,मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आंगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

(10) आंगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व Uttarakhand Procurement Rules 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

2— निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा अनुमन्य दरों पर कराया जाय एवं विशेष रूप से किये जाने वाले कार्यों की गणना पृथक रूप से आगणन में की जाय। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रुप से उत्तरदायी मानी जायेगी।

3— स्वीकृत की गयी धनराशि निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी नैनीताल के प्रतिहस्ताक्षर करने के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा आहरित की जायेगी । उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करने के लिए वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 515/XXVII(1)/2009 दिनांक 28,जुलाई 2009 में विहित शर्तो के साथ – साथ शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत मितव्यतता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना होगा ।

4— व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, डी0जी0 एस0एण्डडी0 की दर तथा समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मितव्यतता सम्बन्धी शासनादेशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना होगा।

5— स्वीकृत धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा ।

6— निर्माण कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या : 475/XXVII(7)/2007 दिनांक 15,दिसम्बर–2008 की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से M.O.U. हस्ताक्षरित किया जायेगा । सुसंगत मानक मद में नैट के माध्यम से बजट आंबटन विवरण पत्र की प्रति संलग्न है।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–12 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 11 के अधीन लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत् परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा, 17–मुक्त विश्वविद्यालय–00–35–पूँजीगत् परिसम्मपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मद के नाम डाला जायेगा ।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 254(P)/xxvii(3)/2012–13 दिनांक 13,मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीया

(डॉ0 निधि पाण्डेय)
अपर सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या 43(4)12/XXIV(6)/2013 दिनांकित :
प्रतिलिपि निम्नलिखित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमांयू मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल ।
4. कोषाधिकारी, हल्द्वानी ।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी ।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड ।
7. इकाई प्रभारी, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 हल्द्वानी को टीएसी द्वारा आंगणन की परीक्षित प्रतियों सहित ।
8. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून ।
10. विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनु सचिव ।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Higher Education (S018)

आवंटन पत्र संख्या - 43(4)xxiv(6)/2012

अनुदान संख्या - 011

अलोटमेंट आई डी - S1303110186

HOD Name - Vice Chancellor Open University (4574)

आवंटन पत्र दिनांक - 14-Mar-2013

1: लेखा शीर्षक - 4202 - शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01 - सामान्य शिक्षा

203 - विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

00 - मुक्त विश्व विद्यालय 17 - मुक्त विश्व विद्यालय

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
35 - पूंजीगत परिसम्पत्तियों के स	0	1525000	1525000
	0	**1525000**	**1525000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 1525000